

प्रसार शिक्षा के सिद्धान्त
(Principles of Extension Education)

प्रसार शिक्षा के सिद्धान्त को इस प्रकार वर्गबद्ध किया जा सकता है, यथा :-

(1.) सांस्कृतिक विभेद का सिद्धान्त (Principle of cultural differences) :- प्रसार शिक्षा को प्रभावशाली बनाएँ जाने के लिए यह जरूरी है कि प्रसार विधियों का चुनाव, स्थानीय संस्कृति के अनुरूप रखा जाए। लोगों की चली आ रही संस्थाओं, परम्पराओं, रीतिरिवाजों, मूल्यों, आस्थाओं, आदतों और तौर-तरीकों का उनके जीवन में बहुत महत्व होता है। लोगों के विश्वास और सोचने के ढंग के अनुरूप ही कार्य आरम्भ करना चाहिए। सांस्कृतिक परिवर्तन, धीरे-धीरे ही लाया जा सकता है। भारत जैसे विशाल देश में लोगों में इस पक्ष पर (Thinking, Living, cultural) बहुत अन्तर रहता है। इसलिए यहाँ स्थान के अनुकूल ही, अलग-अलग प्रसार विधियों का प्रयोग करना उचित है। इसके लिए काम शुरू करने के पूर्व स्थानीय परिस्थितियों का अध्ययन किया जाना जरूरी है। लोग क्या चाहते हैं किस प्रकार उनको समझाया जा सकता है, किन बातों से वे समझेंगे? कौन-सा तरीका उनके लिए प्रभावशाली सिद्ध होगा? यह जानना जरूरी है। जब एक बार उनमें नए विचार फैलाने में सफलता मिल जाए, तब परिस्थिति कुछ इस प्रकार से बदल जाती है कि आगे कुछ और नया बताना कठिन नहीं होता है।

(2.) सांस्कृतिक परिवर्तन का सिद्धान्त (Principle of cultural change) :- लोगों की संस्कृति में समय से परिवर्तन आता है। प्रसार शिक्षा भी जब से उसे शुरू किया गया था, उस समय से लेकर आज तक लोगों में थोड़ा-बहुत, परिवर्तन लाने में सफल हुई है। इस दृष्टि से जहाँ जितना और जिस स्तर का प्रसार हो चुका है, वहाँ के लिये प्रसार शिक्षा के स्वरूप में परिवर्तन लाना जरूरी है। लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए जरूरी है कि प्रसार कार्यकर्ता उनका विश्वास जीत सकें। उन्हें विश्वास हो जाय कि प्रसार कार्यकर्ता जो कुछ बतलाता है, वह उनके जीवन में महत्त्व की और काम की बात (relevant to their daily life) है। प्रसार कार्यकर्ता को जो उपयोगी विचार बताने हैं, उनके लाभकारी नतीजे लोगों के सामने दिखाना जरूरी है। जो लोग अपनी आँख से, बतायी बात के लाभकारी प्रभावों को देख लेते हैं, वे इस बात पर विश्वास करते हैं कि प्रसार कार्यकर्ता सच में उनके लाभ के कामों के बारे में बता रहा है। वे अन्य लोगों को भी इनके बारे में बताते हैं। इस प्रकार से प्रसार उत्तरोत्तर आगे बढ़ता जाता है और अपने

उद्देश्य को सार्थक करता है।

(3) जड़ से आरंभ करने का सिद्धान्त (Principle of grassroot approach) :- अपने काम में सफल होने के लिए प्रसार कार्यकर्ता को प्रसार कार्य वहाँ से आरम्भ करना चाहिए जहाँ पर लोग इस समय हैं। उनके अपने वर्तमान स्तर से ही काम शुरू होना चाहिए। शुरू सबसे निचले स्तर से होना जरूरी है। इसलिए जो भी प्रोग्राम बनाए जाएँ, वे स्थानीय परिस्थितियों, लोगों की जरूरतों उनकी रुचियों और समस्याओं के अध्ययन के उपरान्त ही, उसीसे बनी नींव से ऊपर ही बनने चाहिए। लोगों से ही कार्यक्रमों को आरम्भ करना चाहिए। विशेषकर उन लोगों से जो बेहतर उत्पादन चाहते हैं और अपने जीवन-स्तर को उन्नत करने के इच्छुक हैं। प्रसार कार्यक्रम के लिए वर्तमान स्थिति की जानकारी जरूरी है। इसका पता लगाने के लिए व्यक्तिगत सम्पर्क, निरीक्षण, परिस्थिति-ज्ञान, लोग तथा उनकी सामाजिक संगठनात्मक व्यवस्था, उनका आर्थिक स्तर, आदतें, परम्परा और मनोवृत्ति की जानकारी लेने की अनुशंसा की गई है। स्थानीय, क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय (local regional and national) संदर्भ की वर्तमान स्थितियों पर कार्यक्रमों को आधारित किया जाना जरूरी है। प्रसार कार्यक्रमों में जल्दीबाजी ठीक नहीं है। उन्हें सम्पूर्ण परिस्थितियों के अध्ययन के उपरान्त ही चलाया जाना चाहिए और वह भी धीरे-धीरे (gradually) जल्दीबाजी से तमाम समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं और प्रोग्राम असफल हो सकता है। मद्धिम गति का परिवर्तन और तदजनित विकास लोगों को बड़े अनुकूल ढंग से (मानसिक रूप से) तैयार करता जाता है।

(4) सहयोग और सहकारिता का सिद्धान्त (Principle of cooperation and participation) :- प्रसार सेवा में सहयोग महत्वपूर्ण होता है। अध्ययनों से स्पष्ट है कि जब लोग प्रोग्रामों में हिस्सा लेने लगते हैं, तब उनके व्यवहार में सहज और शीघ्र परिवर्तन लाया जा सकता है। तब ही कोई कार्यक्रम लोगों का अपना (people's programme) बनता है। कोई कार्यक्रम लोगों के सहयोग के बिना सफल नहीं हो सकता है। उनका सहयोग महत्वपूर्ण और नितान्त जरूरी है क्योंकि, यही बात कार्यक्रम को तत्कालिक स्थानीय आधार दे सकती है, कार्य में वास्तविक विश्वास पैदा करती है, और कार्य के लाभ एवं परिणाम को शीघ्रता से फैलाने में सहायक होती है। इसलिए लोगों को अपने कल्याण से

सम्बन्धित कार्यक्रमों में संलग्न (involve) करना जरूरी होता है। उन्हें सभी कामों में लगाना चाहिए। कार्यक्रम आयोजन, लक्ष्यों के निर्धारण, योजना बनाने, उसे कार्यरूप में परिणत करने तथा उसके परिणामों के मूल्यांकन में लोगों को संलग्न करना सफलता के लिए जरूरी है।

(5) रुचि तथा आवश्यकताओं का सिद्धान्त (Principle of need based programme) :- प्रसार-कार्य में तब ही कुछ सफलता की आशा की जा सकती है, जब उसके प्रोग्राम लोगों की जरूरतों पर आधारित हों, तथा उनका क्रियान्वयन (exccution) लोगों की रुचि और जरूरतों के मुताबिक हो। इसके लिए लोगों की महत्वपूर्ण समस्या का समाधान-कार्य हाथ में लेते हैं और लोगों की तात्कालिक जरूरी जरूरतों (urgent needs) को पूरा करने के प्रयास में लगते हैं, तब ही वे अपने काम का प्रभावी और सफल बना लेते हैं। आरंभ में तो यह बात और भी जरूरी है कि कुछ ऐसे काम करके दिखाएँ जाएँ जो लोगों की बहुत दिनों से चली जा रही अनुभूत जरूरतों (long felt needs) को पूरा करे। जिस प्रकार एक ऊँचे भवन के लिए मजबूत नींव जरूरी होती है, उसी प्रकार लोगों की रुचि और जरूरतों पर आधारित, प्रसार कार्यक्रमों का विकास की दिशा में ठोस आधार बनता है और बेहतर फल, यानि अच्छा परिणाम (better results) उपलब्ध होता है।

(6) सहायिक स्वयं की सहायता का सिद्धान्त (Principle of aided self help) :- प्रसार कार्यकर्ता का प्रमुख काम, लोगों को अपनी उन्नति के लिए, स्वयं ही यानी खुद ही अपनी मदद करते हुए प्रयास करने के लिए प्रेरित करना है। जब सीखनेवाला कुछ सीखने की अपनी जिम्मेवारी को समझ लेता है, तब सिखाने का काम ज्यादा आसान और प्रभावी होता है। यह संभव है कि लोगों के पास अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए संसाधनों का अभाव हो। प्रसार कार्यकर्ता का काम बनता है कि वे उन्हें अपने कार्य-व्यवहार में परिवर्तन लाने में जरूरी सहायता प्रदान करें। इस थोड़ी-सी मदद का प्रभाव वैसा ही पड़ता है, जैसे थोड़ा-सा दही बहुत अधिक मात्रा में दही तैयार कर देता है। इस तरह से प्रसार कार्यक्रम के लिए (helping people help themselves) की नीति सबसे अच्छी रहती है। इससे लोगों में आत्मनिर्भरता और स्वावलम्बन भी बढ़ता है और परनिर्भरता की प्रवृत्ति में कमी आती है।

(7) करके सीखने का सिद्धान्त (Principle of learning by doing) :- प्रसार कार्यक्रमों को करके-सीखने के सिद्धान्त के सहारे सफल और प्रभावशाली बनाया जा सकता है। प्रसार-कार्य को 'Learning by doing' और 'seeing is believing' के सिद्धान्त पर आधारित किया जाना जरूरी है। इन सिद्धान्तों के महत्व को सम्पूर्ण विश्व में एकमत से स्वीकार किया गया है। प्रसार कार्यकर्ता को यह सदैव याद दिलाना जरूरी है कि सीखना एक गतिशील क्रिया है और लोग करके (by doing) ज्यादा बेहतर ढंग से सीखते हैं। इसलिए आप भी इसे आजमायें और आँकें। ग्रामीण इन सैद्धान्तिक बातों और तथ्यों पर जल्दी विश्वास नहीं करते हैं। जब वे अपनी आँख से देख लेते हैं तब उन्हें ठोस सबूत मिल जाता है और तब ही वे उसमें हिस्सा लेने को तैयार होते हैं। यही कारण है कि प्रसार-क्रिया में प्रदर्शन का बहुत अधिक महत्व माना गया है। सिंह के अनुसार "In this way, the self development will become the habit of the people and this habit is a pre-requisite for any nation to progress."

(8) स्थानीय संसाधनों के प्रयोग का सिद्धान्त (Principle of use of local resources) :- ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए काम करते समय इस बात का ध्यान जरूरी है कि स्थानीय संसाधनों का, चाहे वे मनुष्य हों या वस्तुएँ (men or material) हों, पूरा-पूरा प्रयोग होना चाहिए। सभी कार्यक्रमों के आयोजन में अनिवार्य बाहरी सहायता के अतिरिक्त, सभी प्रकार की सहायता स्थानीय रूप से ही प्रबन्धित की जानी चाहिए। स्थानीय संसाधनों का पता लगाना और प्राप्त करना, कोई कठिन कार्य नहीं है। साथ ही, उन्हें प्रयोग करना, बड़ा ही आसान और कम खर्चीला पड़ता है, लोग उनसे परिचित रहते हैं, उनके गुण-अवगुणों को जानते हैं। वे उनका पूर्ण रूप से नहीं भी, परन्तु थोड़ा-बहुत प्रयोग अवश्य ही किए रहते हैं। फलतः विकास कार्यों में रुकावट नहीं आती है और विकासोन्मुख कार्य उत्तरोत्तर बढ़ते हैं और प्रसार में, विशिष्ट प्रयोजन को प्रोत्साहन मिलता है।

(10) प्रशिक्षित विशेषज्ञों का सिद्धान्त (Principle of trained specialists) :- सभी विज्ञान के समान कृषि-शास्त्र, पशुपालन शास्त्र तथा गृहविज्ञान आदि तेजी से आगे बढ़नेवाली विधाएँ हैं। इसलिए जरूरी है

कि ये सब निरन्तर नए विचारों और नई आविष्कृत पद्धतियों के साथ-साथ नई टेक्नोलॉजी से समृद्ध और आधुनिकतम बनते रहें। प्रसार-कार्य को संबद्ध विषय के विशेषज्ञ की जरूरत पड़ने पर राय-मशविरा मिलता रहे, तब ही वह लोगों को प्रभावित कर सकती है। कोई एक व्यक्ति सभी क्षेत्रों में होनेवाली प्रगति और संबद्ध अधुनातन ज्ञान और तकनीक का विशेषज्ञ नहीं हो सकता है। एक स्थान पर एक बार में एक ही फील्ड वर्कर पहुँच सकता है। उसे सभी क्षेत्रों की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, अतः उसे विशेषज्ञ का परामर्श उपलब्ध होना जरूरी है। इससे कार्यकर्ता का ज्ञान और उसकी क्षमता बढ़ती है। इससे लोगों में उसका सम्मान बढ़ता है और लोग उस पर विश्वास करते हैं, जो उन्हें प्रेरित करने की पहली शर्त है। प्रसार कार्यकर्ता विशेषज्ञों के माध्यम से वैज्ञानिक खोजों और ज्ञान को, व्यावहारिक रूप देने के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के जन-जीवन के विविध पक्षों तक पहुँचाने का काम करता है। जन-जन तक नव-ज्ञान पहुँचाना प्रसार का लक्ष्य है।

(11) स्वेच्छा से शिक्षा का सिद्धान्त (Principle of voluntary education) :- प्रसार शिक्षा वस्तुतः स्वेच्छा से शिक्षित होने का विधान है। प्रसार कार्य लोगों का कार्यक्रम होता है, जो प्रशासकीय सहायता से चलाया जाता है। दूसरों के द्वारा बनाए गए उद्देश्यों में लोग विशेष रुचि नहीं लेते हैं। इसलिए अच्छा यह होता है कि राष्ट्रीय योजनाओं के फ्रेमवर्क में ही स्थानीय लोगों द्वारा कार्यक्रम निर्धारित किए जाएँ। चूँकि लोगों की सहभागिता स्वेच्छा से होती है, अतः वह तब ही मिल सकती है, जब वे नए कार्यक्रमों के लाभों के बारे में पूरी तरह से आश्वस्त हो जाएँ। विकास कार्यों में भाग लेने के लिए ग्रामीण अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए इच्छुक होते हैं और अपने को शिक्षित करके, उसमें सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। वह जब स्वयं लक्ष्य को निर्धारित करने में भाग लेते हैं तो यह उनकी प्रतिष्ठा का सवाल हो जाता है कि वे उसे पूरा करें।

(12) शिक्षण विधियों का सिद्धान्त (Principle of teaching methods) :- प्रसार शिक्षा की कुछ शिक्षण-विधियाँ होती हैं। इनके प्रयोग से लोगों को विकास के लिए प्रेरित किया जाता है। अध्ययनों और अनुभवों से देखा गया है कि कोई भी नई बात को बताने, नवाचरण

को स्वीकार करने और नई टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए प्रेरित करने में तब ही सफलता मिलती है, जब कई, सही प्रसार शिक्षण-विधियों के संयोजित रूप का प्रयोग किया जाए। शिक्षण-विधियों में लचीलापन रहना जरूरी है, क्योंकि इस शिक्षा के शिक्षार्थी विभिन्न आयु, लिंग तथा आर्थिक-सामाजिक स्तर के होते हैं। विभिन्न शिक्षण-विधियों का प्रयोग अलग-अलग परिस्थिति में किया जाना चाहिए। सभी हालतों में एक ही विधि का प्रयोग प्रभावशाली नहीं हो सकता है। जैसे पढ़ने की सामग्री उन लोगों में उपयोगी सिद्ध होगी जो पढ़ना-लिखना जानते हैं, रेडियो प्रोग्राम उनको कुछ लाभ पहुँचा सकते हैं जिनके पास रेडियो हो, सभा करके कुछ बताना उनके लिए लाभकारी होगा जो सभा में उपस्थित हों तथा प्रदर्शन की विधि उनके लिए ठीक होती है जो प्रदर्शन-स्थल तक पहुँच सकते हैं। जब विधियों का प्रयोग प्रस्तावित परिवर्तन के लिए विधिवत् शिक्षण के उद्देश्य से किया जाता है और जब ज्ञान की प्राप्ति तरह-तरह की तकनीक से होती है, तब ज्ञान के साथ-साथ परिवर्तन भी स्थायी होता है।

(13) सन्तुष्टि का सिद्धान्त (Principle of satisfaction) :- जब लोग स्वयं काम करके सन्तुष्टि का अनुभव करते हैं, तब वह सबसे शक्तिशाली प्रेरणा बनती है। जब प्रसार कार्यक्रम के अन्तर्गत कोई लाभकारी काम करके, कोई व्यक्ति सन्तोष की प्राप्ति करता है, तब वह प्रसार कार्यकर्ताओं से और अधिक सहायता माँग कर अन्य क्षेत्रों से संबद्ध नए ढंग के कामों को करने के लिए उत्साहित होता है। इससे प्रसार कार्यक्रम को बढ़ावा मिलता है और प्रसार कार्यकर्ता का हौसला बढ़ता है। इसका तात्पर्य यह है कि विकास कार्यक्रमों को प्रसार के अन्तर्गत चलाए जाने में लोगों को सन्तुष्टि प्रदान करने का अपना खास महत्त्व है। सन्तुष्टि से कामों को आगे-आगे बढ़ाने में प्रोत्साहन मिलता है।

(15) सम्पूर्ण परिवार का सिद्धान्त (Principle of whole family approach) :- प्रसार शिक्षा को सम्पूर्ण परिवार की ओर उन्मुख रखा जाता है। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में सम्पूर्ण परिवार मिलकर काम करता है, विशेषकर कृषि व्यवसाय में। इसलिए परिवार के सभी सदस्यों के लिए प्रसार कार्यक्रम बनाए जाते हैं और नई पद्धति और नए विचारों को अपनाने में सम्पूर्ण परिवार का मिला-जुला निर्णय होता है। अंतः

सभी को प्रसार के अन्तर्गत चलाए गए विकास कार्यों के संदर्भ में विचार-विमर्श एवं चर्चा-परिचर्चा में भाग लेने का मौका मिलना जरूरी है। ग्रामीण जीवन के सभी पक्षों में विकास की आवश्यकता होती है। अतः प्रसार शिक्षा कार्यक्रम जीवन से संबद्ध सभी पक्षों के विकास को अपने में सिद्धान्त रूप से समेट कर चलता है और सम्पूर्ण परिवार के विकास को ध्यान में रखता है। सभी का साथ उठना जरूरी है। किसी एक व्यक्ति का या एक पक्ष का विकास, कोई मायने नहीं रखता है।

(16) नमनीयता का सिद्धान्त (Principle of flexibility) :- प्रसार शिक्षा का स्वरूप, उस स्थान-विशेष की परिस्थिति एवं समय, व्यक्ति और विषय-वस्तु के अनुरूप स्थापित होता है। एक ही स्थान के लिए भी प्रसार के कार्यक्रमों को, अन्यान्य योजना के अनुरूप नहीं चलाया जा सकता है। अतः प्रसार कार्यक्रमों की योजना में इतनी गुंजाइश रहनी चाहिए कि जरूरत पड़ने पर बदलाव लाया जा सके। प्रसार शिक्षा राष्ट्रीय नीतियों के अनुरूप चलनी चाहिए, जिसमें उसी फ्रेमवर्क के अन्तर्गत, जरूरत पड़ने पर कुछ परिवर्तन किए जाने की गुंजाइश रखनी चाहिए, क्योंकि वृहत् पैमाने पर होनेवाले कार्यों को चलाना स्थानीय अनुरूपता प्रदान किए बगैर संभव नहीं है।

(17) समसमानता का सिद्धान्त (Principle of indiscriminate help) :- प्रसार शिक्षा के कार्यक्रम जिन लोगों के लाभ के लिए आयोजित किए जाते हैं, उनमें किसी प्रकार का भेद-भाव नहीं रखते हैं। ये व्यक्ति-विशेष के नहीं होकर, सबके लिए होते हैं। समाज के सभी वर्गों के साथ प्रसार शिक्षा के कार्यकर्ता को काम करना पड़ता है। व्यक्तिगत जरूरत के हिसाब से उनमें थोड़ा-बहुत परिवर्तन लाया जा सकता है या थोड़ा-बहुत उसे कमोबेश किया जा सकता है। परन्तु कार्यक्रमों को बिना किसी भेदभाव के (जाति, धर्म, आदि) सबके लाभ तथा निष्पक्ष सहायता देनेवाला रखा जाना चाहिए।

(18) स्थानीय संगठन के सहयोग का सिद्धान्त (Principle of the help of local agencies) :- प्रसार कार्य एक लोकतांत्रिक कार्य होता है। यह समूह के लाभ और कल्याण के लिए होता है। इसे सफलतापूर्वक चलाने के लिए लोगों के सहयोग के साथ-साथ स्थानीय संगठनों का सहयोग भी जरूरी है। स्थानीय संगठनों का लोगों पर गहरा प्रभाव रहता

है और उनका सहयोग मिलने पर लोग स्वतः उसका अनुसरण करते हैं। प्रसार कार्यक्रमों में स्थानीय संस्थाओं के सहाय्योग का उचित उपयोग किया जाना जरूरी है, तब ही कार्यक्रमों को आगे बढ़ने के लिए अवरोध रहित और विघ्न रहित, सीधा और चिकना मार्ग, स्वतः मिलता जाता है।

(19) तटस्थता का सिद्धान्त (Principle of neutral and non-aligned) :- प्रसार कार्यों को तथा प्रसार कार्यकर्ता को स्थानीय राजनीति और गुटबन्दी से पृथक् रहना जरूरी है, किसी भी जातिगत, धर्मगत या राजनीतिक गुट के साथ प्रसार शिक्षा के कार्य नहीं चल सकते हैं। इनके साथ जुड़ जाने पर अकारण समस्याएँ उठ खड़ी होती हैं, विघ्न-बाधाएँ बढ़ जाती हैं और काम रुक जा सकता है। विरोधी गुट शक्तिशाली हाकर अच्छे काम में भी रुकावट डालेगा। न किसी के प्रति गहरी रुचि, न किसी से कटुता के सिद्धान्त पर ही प्रसार-कार्य से सम्बन्धित योजनाएँ सफल हो सकती हैं।

(20) प्रोत्साहन, अभिप्रेरणा और अनुनय का सिद्धान्त (Principle of persuasion, motivation and encouragement) :- प्रसार कार्यक्रम ऊपर से थोपे नहीं जा सकते हैं। इनके प्रति लोगों में लगाव पैदा करने के लिए अनुनय, प्रेरणा और प्रोत्साहन का सहारा लिया जाता है। ग्रामीण स्वभाव है कि वह अपने पुराने ढर्रे पर ही चलना पसन्द करता है। उसे पुरानी पद्धति छोड़कर नई विधि स्वीकार कराना, केवल अनुनय से और तरह-तरह के उपायों से प्रेरित और प्रोत्साहित करके ही संभव होता है। अतः प्रसार कार्यक्रम इन सिद्धान्तों को साथ लेकर ही चलता है। ग्रामीण व्यक्ति के विचारों और व्यवहारों में परिवर्तन जोर-जबरदस्ती से नहीं लाया जा सकता है, क्योंकि तब वह उतनी ही दृढ़ता से अपने मक्ष को हठपूर्वक प्रस्तुत करता है। उसमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन को, मात्र प्रेरित करके, समझा-बुझा कर और उत्साहित करके ही लाया जा सकता है।

(21) मूल्यांकन का सिद्धान्त (Principle of evaluation) :- यह जानने के लिए कि क्या-क्या काम हो चुका है और क्या करना बाकी है तथा उसे कैसे किया जाए, इसके लिए जरूरी है कि समय-समय पर सम्पूर्ण कार्यक्रम का मूल्यांकन किया जाए। प्रसार कार्यक्रम भी मूल्यांकन के सिद्धान्त को मानता है। कार्यक्रम की तथ्यात्मक रिपोर्ट के

सहारे ही पता लगता है कि क्या कोई त्रुटि हुई है? क्या कोई समस्या उठी हुई है और उसके समाधान के लिए क्या करना पड़ा है? इन सब बातों के समय-समय के मूल्यांकन से आगे प्रगति करना और आगे कोई निर्णय लेना संभव होता है। भविष्य के कामों की योजना बनाना, लक्ष्य निर्धारित करना तथा काम आरंभ करना सहज होता है। 'वांछित दिशा में आगे बढ़ने के लिए, प्रसार शिक्षा सेवा, मूल्यांकन में दृढ़ आस्था रखती है।

ये सब सिद्धान्त प्रसार शिक्षा के आधार-स्तंभ है। यह इन्हीं पर आधृत है और इन्हीं के सहारे खड़ी है। प्रसार शिक्षा का उद्देश्य इन्हीं सिद्धान्तों की गाईड लाईन पर चलता है। सिद्धान्तों को कभी नहीं भूलनेवाली प्रसार शिक्षा मानव का विकास करने में, विशेष रूप से अविकसित क्षेत्र के लोगों का विकास करने में और उनका जीवन स्तर उन्नत बनाने में, बड़ी सफल और पूर्णतया सार्थक सिद्ध होती है। डॉ० सिंह के अनुसार "Extension education stands for development of man, all of man, the whole of man and is concerned with what happens to the last man. By following above principles, it becomes effective instrument for ensuring distributive justice, enriching the quality of life, and inculcating in basic human value" सिद्धान्तों से भटकी प्रसार शिक्षा, असफलता के शिखर से टकराकर नष्ट और निरर्थक हो जा सकती है।